ज़कात के अहकाम

﴿ أحكام الزكاة ﴾

[हिन्दी – Hindi – هندي]

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ أحكام الزكاة ﴾

« باللغة الهندية »

عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दया शील अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने मन की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह की प्रशंसा और स्तुति के बाद :

ज़कात के अहकाम

ज़कात इस्लाम के कर्तव्यों में से एक महान कर्तव्य है और उसके स्तंभों में से तीसरा महत्व पूर्ण स्तंभ है। अल्लाह तआला ने इसे अपनी किताब पवित्र कुरआन में अनिवार्य किया है, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों से ज़कात वसूल किया है और जिन लोगों पर ज़कात अनिवार्य है, उनसे उसे लेने का आदेश दिया है।

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:١٠٣]

''आप उनके धनों में से सद्क़ा (ज़कात) ले लीजिये, जिसके द्वारा आप उन्हें पाक और साफ कर दें।'' (सूरतुत्तौबाः 103)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٦٧]

''ऐ ईमान वालो! अपनी हलाल कमाई में से और जो कुछ हम ने तुम्हारे लिए धरती से निकाला है उस में से खर्च करो।'' (सूरतुल बक़रा: 267)

तथा एक दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المزمل:٢٠]

''तथा नमाज़ क़ायम करो और ज़कात दो।'' (सूरत मुज़्ज़म्मिल :20)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحِّدَ اللهَ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى خَمْسٍ - : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ)).

''इस्लाम की नीव पाँच चीज़ों पर स्थापित है: अल्लाह की वह्दानीयत का इक़रार करना —और एक रिवायत में है: इस्लाम की नीव पांच चीज़ों पर है—: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक उपास्य नहीं और इस बात की गवाही देना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और संदेशवाहक हैं, और नमाज़ स्थापित करना, और ज़कात (अनिवार्य धार्मिक—दान) देना, और रमज़ान के रोज़े (व्रत) रख़ना और हज्ज करना।

इस पर एक व्यक्ति ने कहा: हज्ज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, इब्ने उमर ने फ़रमाया: नहीं, रमज़ान के रोज़े रखना और हज्ज करना,

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मैं ने ऐसा ही सुना है। यह हदीस बुख़ारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, किन्तु उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

इसी प्रकार समस्त मुसलमानों का ज़कात के अनिवार्य होने पर इज्माअ् (सर्वसम्मति) है। जिसने जानबूझ कर ज़कात की अनिवार्यता का इंकार किया, वह इस्लाम से मुर्तद और काफिर है चाहे वह ज़कात देने वाला ही क्यों न हो; क्योंकि वह अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत और मुसलमानों की सर्वसहमति को नकारने और झुठलाने वाला है। ऐसे व्यक्ति से तौबा करवाया जायेगा, अगर वह तौबा कर लेता है तो ठीक, अन्यथा उसे मुर्तद होने के कारण क़त्ल कर दिया जायेगा। और जो आदमी कंजूसी या सुस्ती करते हुये उसकी अदायगी नहीं करता है, तो वह पापी है और अल्लाह तआला की सज़ा का पात्र है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران:١٨٠)

''और जिन को अल्लाह ने अपनी कृपा से (धन) दिया है और वह उस में कंजूसी करते हैं तो वे इसे अपने लिए अच्छा न समझें बल्कि वह उनके लिए बहुत बुरा है, उन्हों ने जिस (धन) में कंजूसी की है क़ियामत के दिन उन के (गले का) तौक़ होगा, और आसमानों व ज़मीन का हक़ (मीरास) केवल अल्लाह के लिए है, और वह तुम्हारे कामों से अवगत है।'' (सूरत आल इम्रानः 180)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरामन है:

''जो भी सोना और चाँदी वाला उनमें से उनका हक़ (ज़कात) नहीं निकालता है, क़ियामत के दिन वो (सोना और चाँदी) आग की पलेटें (तख्तियाँ) बनाई जायेंगीं, और उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दाग़ा जायेगा, जब जब वह ठंडी हो जायेंगीं उन्हें दुबारा गरमाया जायेगा, यह एक ऐसे दिन में होगा जिसकी मात्रा पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि बन्दों के बीच फैसला कर दिया जाएगा, फिर उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा।'' (सहीह मुस्लिम 2/680 हदीस नं.: 987)

जिन धनों में ज़कात अनिवार्य है :

चार प्रकार के धनों में ज़कात अनिवार्य है :

1. चरने वाले मवेशी (चौपाये)।
2. ज़मीन की उपज (अनाज और फल)।
3. सोना चाँदी और करेन्सी (बैंक नोट)।
4. तिजारत के सामान।

ज़कात अनिवार्य होने की शर्तें :

ज़कात के अनिवार्य होने की पाँच शर्तें हैं :

1. ज़कात वाला आदीमी मुसलमान हो।
2. वह आज़ाद हो ग़ुलाम न हो।
3. ज़कात का धन नियमित निसाब को पहुँच जाये, जो कि कम से 5 ऊँट, 30 गायें और 40 बकरियाँ हैं।
4. ज़कात का धन पूरी तरह से उसकी मिलकियत में हो।

❺ ज़कात के धन पर एक साल का समय बीतना। (सिवाय ज़मीन की उपज के)।

मवेशियों की ज़कात : इस से अभिप्राय ऊँट, गाय और भेड़–बकरी हैं।

इनमें ज़कात अनिवार्य होने की शर्तें यह हैं :

1– वे पूरे साल या साल के अधिकतर दिनों में छूट कर चरने वाले हों।

2– वह दूध और नस्ल की बढ़ोतरी के लिए हों, निजी काम जैसे खेती–बाड़ी अथवा बोझ ढोने के लिए न हों। यदि वे व्यापार के लिए हैं तो व्यापारिक सामान की तरह उनकी ज़कात निकाली जाएगी।

१. ऊँट की ज़कात इस प्रकार है :

ऊँट की संख्या	ज़कात की अनिवार्य मात्रा
1–4	कुछ भी ज़कात नहीं
5–9	1 बकरी
10–14	2 बकरियाँ
15–19	3 बकरिया
20–24	4 बकरिया
25–35	1 बिन्त मख़ाज़
36–45	1 बिन्त लबून
46–60	1 हिक़्क़ा
61–75	1 जज़आ
76–90	2 बिन्त लबून
91–120	2 हिक़्क़ा

नोटः जब ऊँट की संख्या 120 से अधिक हो जाए तो हर 40 पर 1 बिन्ते लबून और हर 50 पर 1 हिक़्क़ा ज़कात में देना होगा। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित चार्ट देखें :

ऊँट की संख्या	**ज़कात की अनिवार्य मात्रा**
121–129	**3** बिन्त लबून
130–139	**1** हिक़्क़ा **2** बिन्त लबून
140–149	**2** हिक़्क़ा **1** बिन्त लबून
150–159	**3** हिक़्क़ा
160–169	**4** बिन्त लबून

बिन्ते मख़ाज़ : एक साल की ऊँटनी।

बिन्त लबून : दो साल की ऊँटनी।

हिक़्क़ा : तीन साल की ऊँटनी।

जज़्आ : चार साल की ऊँटनी।

२. गाय की ज़कात इस प्रकार है :

गाय की संख्या	**ज़कात की अनिवार्य मात्रा**
1–29	कुछ भी ज़कात नहीं
30–39	**1** तबीअ़ या तबीआ़
40–59	**1** मुसिन्ना
60	**2** तबीआ

नोट : जब गायों की संख्या 60 या उस से अधिक होजाए, तो हर 30 पर 1 तबीअ्, और हर 40 पर 1 मुसिन्ना ज़कात देय होगी। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित चार्ट देखें :

गाय की संख्या	ज़कात की अनिवार्य मात्रा
60–69	2 तबीअ़ा
70–79	1 मुसिन्ना 1 तबीअ़ा
80–89	2 मुसिन्ना
90–99	3 तबी'आ
100–109	1 मुसिन्ना 2 तबीअ़ा
110–119	2 मुसिन्ना 1 तबीअ़ा
120–129	3 मुसिन्ना या 4 तबीअ़ा
तबीअ् : एक साला बछड़ा। **तबीआ** : एक साला बछिया। **मुसिन्ना** : दो साला बछिया।	

३. बकरी की ज़कात इस प्रकार है :

बकरियों की संख्या	ज़कात की अनिवार्य मात्रा
1–39	कुछ भी ज़कात नहीं
40–120	1 बकरी
121–200	2 बकरियाँ
201–399	3 बकरियाँ

नोट : अगर 200 बकरियों से एक भी अधिक हो जाये तो उस में तीन बकरियाँ अनिवार्य हैं, फिर उसके बाद हर एक सौ (100) बकरियों में एक बकरी ज़कात देय है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित चार्ट देखें :

ब्करियों की संख्या	ज़कात की अनिवार्य मात्रा
400–499	**4** बकरियाँ
500–599	**5** बकरियाँ
600–699	**6** बकरियाँ
700–799	**7** बकरियाँ
800–899	**8** बकरियाँ

ज़मीन की पैदावार में ज़कात :

ज़मीन से पैदा होने वाले सभी अनाजों और फलों में इन शर्तों के साथ ज़कात अनिवार्य है:

❶ पहली शर्त यह है कि वह उपज नापी और तौली जा सकती हो, और जमा करके रखी जा सकती हो, जैसे अनाज में से गेहूँ और जौ इत्यादि, और फल में से अंगूर और खजूर इत्यादि। रही ज़मीन से उपजने वाली वह चीज़ें जो नापी न जाती हों और न जमा करके रखी जा सकती हों, जैसे साग और सब्ज़ी और इस तरह की दूसरी चीज़ें तो इनमें ज़कात अनिवार्य नहीं है।

❷ दूसरी शर्त यह है कि वह निसाब को पहुँच जाये, जिसकी मात्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सा'अ़ के अनुसार 300 सा'अ़ है, और वर्तमान पैमाने के हिसाब से लगभग 750 किलो ग्राम है; क्योंकि एक सा;अ़ लगभग अढ़ाई किलो का होता है।

फलों में ज़कात उस समय वाजिब होती है जब वह पक कर लाल या पीले हो जायें, और अनाजों में उस समय जब दाने सख्त हो जायें और सूख जायें।

ज़मीन से पैदा होने वाले फलों और अनाजों की दो हालतें हैं :

1– यदि उसकी उपज बिना लागत और मेहनत व परेशानी के हुई हो, जैसे कि वर्षा और नहर इत्यादि के पानी द्वारा उसकी सिंचाई की गई हो, तो उस में 10 प्रतिशत (दसवां भाग) ज़कात अनिवार्य है।

2– और अगर उसकी पैदावार मेहनत व परेशानी और लागत के द्वारा हुई हो, जैसे कि मशीन और रहट तथा जानवरों के द्वारा द्वारा सिंचाई की गई हो तो उस में 5 प्रतिशत (बीसवां हिस्सा) ज़कात अनिवार्य है।

3– और जिसकी उपज कभी लागत के द्वारा और कभी बिना लाागत के हुई हो तो उसमें 7.5 (साढ़े सात) प्रतिशत ज़कात निकाली जायेगी।

मूल्यों (क़ीमतों) अर्थात् सोना, चाँदी और प्रचलित मुद्राओं (बैंक नोट) की ज़कात :

मूल्यों के दो प्रकार हैं : सोना और चाँदी

❶ **सोना** : सोने में उस समय ज़ाकत अनिवार्य है जब वह 20 मिस्क़ाल (दीनार) हो जाये, एक मिसक़ाल का वज़न लगभग 4.25 (सवा चार) ग्राम होता है। इस प्रकार 20 मिसक़ाल का वज़न 85 ग्राम होगा। यदि सोना 85 ग्राम से कम है तो उसमें ज़कात नहीं है। अगर किसी के पास 85 ग्राम या उस से अधिक सोना है और उस पर एक साल बीत जाता है तो उस में अढ़ाई प्रतिशत (2.5%) ज़कात अनिवार्य होगी।

उदाहरण के तौर पर अगर सोने का दाम बाज़ार में 1,200 रूपये प्रति ग्राम है, तो 85 ग्राम सोने के दाम 1,02,000 रूपये होंगे, उस पर अढ़ाई प्रतिशत (2.5%) अर्थात् 2,550 रूपये ज़कात अनिवार्य होगी।

❷ **चाँदी** : चाँदी का निसाब 200 दिर्हम है, और एक दिर्हम का वज़न लगभग 2.975 ग्राम होता है। इस हिसाब से 200 दिरहम का वज़न लगभग 595 ग्राम होगा। यदि चाँदी 595 ग्राम से कम है तो उसमें ज़कात नहीं है।

अगर किसी के पास 595 ग्राम या उस से अधिक चाँदी है और उस पर एक साल बीत जाता है तो उस में अढ़ाई प्रतिशत (2.5%) ज़कात अनिवार्य होगी।

उदाहरण के तौर पर अगर बाज़ार में चाँदी का दाम दस हज़ार रूपये प्रति किलो ग्राम है, तो 595 ग्राम चाँदी के दाम 5,950 रूपये होंगे। उस में अढ़ाई प्रतिशत अर्थात् 148.75 रूपये ज़कात अनिवार्य होगी।

❸ **करेंसियाँ (बैंक नोट)** : वर्तमान समय में सोने और चाँदी के सिक्कों के स्थान पर करेंसियों के द्वारा आदान प्रदान होता है, अतः करेंसियों में भी ज़कात अनिवार्य होगी जिस प्रकार इनके असल (सोना और चाँदी) में ज़कात अनिवार्य है। इसका निसाब सोने और चाँदी के निसाब के समान है, अर्थात् अगर किसी के पास इतनी मात्रा में करेंसियाँ (बैंक नोट्स) हैं जिनका मूल्य 85 ग्राम सोने या 595 ग्राम चाँदी के बराबर या उस से अधिक है तो उस में एक साल बीतने पर अढ़ाई प्रतिशत ज़कात अनिवार्य होगी।

गरीबों और मिस्कीनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये करेंसियों की ज़कात में चाँदी के निसाब का एतिबार किया जायेगा।

जिस व्यक्ति के पास माल घटता बढ़ता रहता है, और प्रत्येक माल की ज़कात साल पूरे होने पर निकालना कठिन है, तो ऐसा व्यक्ति साल में एक दिन निर्धारित कर ले, और उस दिन जितने धन का भी वह मालिक हो,

उस में से अढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाले, अगरचे कुछ माल पर साल न बीता हो।

जिस आदमी की एक नियमित वेतन है या उसने घर वग़ैरा किराये पर दे रखे हैं और उस से प्राप्त आय को वह खर्च कर देता है, उस से कुछ बचता नहीं है, तो उसमें ज़कात नहीं है चाहे वह कितना ही अधिक क्यों न हो। और यदि कुछ बचता है तो साल पूरा हो जाने पर उस की ज़कात निकाले गा। नहीं तो साल में एक दिन ख़ास कर ले और उस दिन अपने माल की ज़कात निकाले।

तिजारत के सामान की ज़कात :

तिजारत के सामान से अभिप्राय हर वह चीज़ है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने–खरीदने और तिजारत के लिए रखा गया हो, जैसे : ज़मीन, मवेशी, खान–पान की चीज़ें, मशीनरी, कपड़े, मकान, गाड़ियाँ इत्यादि।

हर प्रकार के तिजारत के सामान में ज़कात के अनिवार्य होने का प्रमाण समुरह बिन जुनदुब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वह कहते हैं :

''हम जो कुछ भी बेचने (तिजारत) के लिए रखते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें उस से ज़कात निकालने का आदेश देते थे।'' (अबू दाऊद, बैहक़ी, दारकुत्नी)

जब तिजारत के सामान का मूल्य सोने या चाँदी के निसाब तक पहुँच जाये और उस पर एक साल बीत जाये, तो उसके मूल का आंकलन करके अढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाली जायेगी।

ज़कात निकालने का समय : जब ज़कात अनिवार्य हो जाये तो उसको तुरन्त निकालना वाजिब है, और बिना किसी आवश्यकता के उसे विलंब करना जायज़ नहीं है।

ज़कात निसाब के मालिक हर मुसलमान पर अनिवार्य है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, नर हो या नारी, स्वस्थ बुद्धि वाला हो या पागल और बुद्धिहीन। छोटे बच्चे और पागल व्यक्ति की ओर से उन का सरपरस्त ज़कात निकालेगा।

लोगों को दिखा कर ज़कात निकालना और स्वंय उसे उसके हक़दारों में बांटना मस्नून है। ज़कात निकालने के लिए नीयत शर्त है, सामान्य सद्क़ा की नीयत से बांटा गया माल ज़कात की ओर से पर्याप्त (मान्य) नहीं होगा, चाहे पूरा धन ही सद्क़ा में क्यों न बांट दिया जाये।

श्रेष्ठ यह है कि ज़कात देश के ही गरीबों में बांटी जाये, जबकि किसी कारणवश देश से बाहर भेजना भी जायज़ है।

ज़कात के ह़क़दार :

ज़कात के ह़क़दार 8 प्रकार के लोग हैं जिन का उल्लेख अल्लाह तआला ने अपने इस फरमान में किया है :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:٦٠)

''ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और क़र्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफिरों के लिए, ये हुकूक़ अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए हुए हैं और अललाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।'' (सूरतुत्तौबा :60)

❶ **फुक़रा** : फक़ीर से अभिप्राय ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास उनकी किफायत भर की रोज़ी का आधा भी नहीं होता है।

❷ **मसाकीन** : मिसकीन से अभिप्राय ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास उनकी किफायत भर की रोज़ी का आधा या उस से अधिक होता है, परन्तु किफायत भर की पूरी रोज़ी इनके पास भी नहीं होती है।

❸ **ज़कात के कर्मचारी** : इससे मुराद वो कर्मचारी हैं जिन्हें हुकूमत ज़कात की वसूली करने, उसकी देख–रेख करने और हक़दार लोगों पर उसे तक़्सीम करने पर नियुक्त करती है। ऐसे लोगों को उनके काम के हिसाब से ज़कात के माल से दिया जायेगा।

❹ **मुवल्लफ़तुल् कुलूब** : ये वो लोग हैं जो अपने कबीलों के सरदार हों, जिन्हें देने से उनके इस्लाम स्वीकार करने, या उनकी बुराई से बचने, या उनके ईमान की मज़बूती, या उन्हीं के समान अन्य लोगों के इस्लाम क़बूल करने की आशा हो।

❺ **गर्दन छुड़ाना (गुलाम आज़ाद करना)** : इससे मुराद वह मुकातब गुलाम हैं जिन्हों ने अपने मालिकों से यह समझौता कर लिया हो कि वे एक निश्चित राशि दे कर आज़ाद हो जायेंगे, तो ज़कात के माल से उनको आज़ाद कराने में मदद की जा सकती है। इसी तरह इसमें ज़कात के माल से गुलाम खरीद कर आज़ाद करन और मुस्लिम क़ैदियों को छुड़ान भी दाखिल है।

❻ **क़र्ज़दार (ऋणी)** : जिनके पास अपने क़र्ज़ को चुकाने की ताक़त न हो, चाहे वह क़र्ज़ थोड़ा हो या ढेर, अगरचे वे रोज़ी के एतिबार से मालदार ही क्यों न हों।

❼ **फ़ी सबीलिल्लाह (अल्लाह के रास्ते में)**: इस से मुराद जिहाद फी सबीलिल्लाह है।

❽ इब्नुस्सबील (राह चलता यात्री): इस से अभिप्राय वह मुसाफिर है जिसका रास्ता कट गया हो अर्थात खर्च समाप्त हो गया हो और उसके पास अपने देश तक पहुँचने के लिए कुछ भी न हो। अतः उसे ज़कात के धन से इतनी राशि दी जायेगी जिस से वह अपने नगर तक पहुँ जाये।

यदि कोई व्यक्ति ज़कात का माल काफ़िर, अपने गुलाम, मालदार व्यक्ति, तथा ऐसे व्यक्ति जिसका ख़र्चा उस पर अनिवार्य है और बनू हाशिम को देता है तो काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह अज्ञानता में यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ज़कात दे दे जो कि उस का हक़दार नहीं, फिर उसे जानकारी हो जाए तो यह भी काफ़ी नहीं है, परन्तु यदि किसी को फ़कीर समझ कर दिया और वह धनी निकला तो यह काफ़ी हो जाएगा।